

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/लम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को सचवा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की सम्बद्धता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/नूत से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/लम्बद्धता/प्रवेश शक्तता वृद्धि सहित अन्य नवी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेशी प्रादर्यक्रम संघालित करने वाली हुई से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेशी प्रादर्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएसीआईई द्वारा सन्-ई यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रादर्यक्रम/प्रवेश शक्तता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में विदे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रादर्यक्रम एवं उरुन अंकित प्रवेश शक्तता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

उप सं सं	संस्था का नाम	प्रादर्यक्रम का नाम	कम	पीएसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश शक्तता	पीएसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश शक्तता
1065	इण्टर टेकनोलॉजी ऑन गैरिडल साइंसेस मुसलमाना रोड, पिप्लोडवाड, सिरोडावाड	डिप्लोमा इन फार्मेशी	00	00	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था प्रादर्यक्रम/पीएसीआईई/पीएसीआईई द्वारा विकसित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनवासी 1992, सेपेरेट प्रिनिसिपलसी-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्देश समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन मासों में ही जमा करेगी हेतु रु 20,10,00/- प्रतिवर्ष से वरीर फार्मेशी प्रादर्यक्रम हेतु रु 45,200.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा ती वर्षों प्रादर्यक्रमों (ता अधीन फार्मेशी प्रादर्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु 12,100

(Handwritten mark)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशेष/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ड्राफ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघासित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-17 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सम्मिलित करने वाली नई संस्था का प्रकथन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1038	इंद् इस्टीट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुताबाबाद रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद-205135	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त